| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–12/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
बुधनी कुंवर —विक्रेता
प्रति
श्रीमती मंजू देवी —क्रेता

**आदेश**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका/विक्रेता बुधनी कुंवर, पति–स्व० हरवंश राम, ग्राम–रंका खुर्द, पोस्ट–रंका राज, थाना–रंका, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती मंजू देवी, पति–श्री रामाशीष राम, ग्राम–रंका खुर्द, पोस्ट–रंका राज, थाना–रंका, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, रंका से आवेदन पत्र मे वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, रंका के पत्रांक 153/दिनांक 31.03.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, रंका का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के पति हरवंश राम के नाम से मांग पंजी II के पुराना पृष्ट सं०–48/2 एवं नया पृष्ट सं० 7/2 पर चलता है। विक्रेता जाति के चन्द्रवंशी कहांर (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता चन्द्रवंशी कहांर (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नही होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदिका/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, रंका के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदिका/विक्रेता बुधनी कुंवर, पति–स्व० हरवंश राम, ग्राम–रंका खुर्द, पोस्ट–रंका राज, थाना–रंका, जिला–गढ़वा ने क्रेता श्रीमती मंजू देवी, पति–श्री रामाशीष राम, ग्राम–रंका खुर्द, पोस्ट–रंका राज, थाना–रंका, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तानान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

**भूमि का विवरणः–**

| ग्राम | थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकबा (एकड़ में) | चौहद्दी |
|---|---|---|---|---|---|
| रंका खुर्द | 75 | पुराना–49<br>नया–14 | पुराना–147<br>नया–238 | 0.37 | उ०–रोड, द०–गोपाल दास,<br>पू०–ब्रम्हदेव राम वगै०,<br>प०–कृष्णा राम वो विक्रम राम, |
| | | पुराना–03<br>नया–168 | पुराना–159<br>नया–779 | 0.15 | उ०–रास्ता, द०–महेन्द्र राम,<br>पू०–रामाशीष राम,<br>प०–निज विक्रेता, |
| | | | कुल रकबा:– | 0.52 | |

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.05 16:12:54 +05:30
Location: 192.168.36.160

C – 12547

कोषाध्यक्ष

सचिव

Scanned with CamScanner